भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2089

08 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्वेदिक औषधियों का निर्यात

2089. श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आयुर्वेदिक औषधियों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और भविष्य के लिए क्या प्रस्ताव है;
(ख) क्या वर्ष 2020 और 2022 के बीच भारत से आयुर्वेदिक दवाओं का निर्यात बढ़ा है; और
(ग) यदि हां, तो इन दो वर्षों के दौरान कुल कितनी आयुर्वेदिक औषधियाँ निर्यात की गई और उस निर्यात से कितनी राशि प्राप्त हुई?

उत्तर
आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): आयुष और हर्बल उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं इस प्रकार हैं:-

- मंत्रालय ने, आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना (आईसी योजना) विकसित की है जिसके अंतर्गत आयुष मंत्रालय, दवा निर्माताओं, उद्यमियों, आयुष संस्थानों, अस्पतालों आदि को आयुष के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, रोड शो आदि में भाग लेने के लिए और निर्यात हेतु विभिन्न देशों के नियामक निकायों में आयुष उत्पादों (बाजार प्राधिकरण) का पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहन देता है; अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार का विकास करने तथा आयुष को बढ़ावा देने से संबंधित गतिविधियों के लिए सहायता देता है।
- आयुष मंत्रालय ने विभिन्न देशों के साथ, 24 अलग-अलग देशों के साथ समझौता ज्ञापनों, 46 संस्थान स्तर के समझौता ज्ञापनों, 15 पीठ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और आयुष तथा हर्बल उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए 35 बाहरी देशों में 39 आयुष सूचना प्रकोष्ठों की स्थापना की है।
- आयुष मंत्रालय और अन्य मंत्रालय जैसे वाणिज्य विभाग, औषध विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सभी विभिन्न देशों के साथ और जी-20, एससीओ, आसियान आदि जैसे मंचों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संवाद में लगे हुए हैं।
- विदेशों में आयुष उत्पादों का पंजीकरण करने, बाजार अध्ययन करने और अनुसंधान गतिविधियां चलाने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की सहायता से आयुष मंत्रालय के

अधीन आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (आयुषएक्सिल) को 04.01.2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (4) के तहत से पंजीकृत किया गया है।

वर्तमान में, आयुषएक्सिल को तत्काल प्रभाव से निर्दिष्ट मदों के लिए आरसीएमसी (पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र) जारी करने के लिए एफटीपी (विदेश व्यापार नीति), 2023 के परिशिष्ट 2 टी में शामिल किया गया है।

(ख): जी हां। पिछले कुछ वर्षों के दौरान आयुष और हर्बल उत्पादों का भारत से निर्यात बढ़ा है।

(ग): आयुष और हर्बल उत्पादों को विभिन्न तरह की खुराक जैसे, टेबलेट, पाउडर, जेल, घी, पेस्ट, पिल्स, आईड्रॉप, नैसल ड्रॉप, बॉडी लोशन, त्वचा और केश देखभाल उत्पाद आदि के रूप में निर्यात किया जाता है। इंडिया एक्जिम बैंक द्वारा बताए गए अनुसार, पिछले 02 वर्षों (2021-2022 से 2022-23) में आयुष और हर्बल उत्पादों का निर्यात निम्नानुसार है:

वर्ष	निर्यात, मिलियन अमेरिकी डॉलर में
2021-22	612.1
2022-23	628.5

*****